राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जल पथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक – F.19(1)( ) म‌बिना/2007 40638-70 जयपुर, दिनांक 29-9-09

सभी उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग

विषय– ''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रसंग में राष्ट्रव्यापी आंदोलन / दिनांक 02 अक्टूबर 2009 को प्रभात फेरियों का आयोजन।

भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 02 अक्टूबर 2009 से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के प्रसंग में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारम्भ किया जाये। इसी संदर्भ में दिनांक 02 अक्टूबर 2009 को आंगनबाडी केन्द्रों को केन्द्र बिन्दु मानते हुए इस दिन प्रभात फेरियां निकाली जाये। ये प्रभात फेरियों संपूर्ण आंगनबाडी क्षेत्र में महिलाओं पर होने पर अत्याचारों के विरूद्ध जन जागरण का कार्य करेंगी। प्रभात फेरियों के आयोजन के लिए निम्न प्रकार से कार्यवाही अपेक्षित होगी :–

1. दिनांक 02 अक्टूबर 2009 को प्रातः 7 बजे तक आंगनबाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, सहायिका एवं साथिन आदि सभी आंगनबाडी केन्द्र पर एकत्रित होगी। इससे पूर्व ये चारों महिलाऐं पूरे गांव में संपर्क कर महिलाओं और लडकियों को प्रभात फेरी में सम्मिलित होने के लिए तैयार करेंगी। ये सभी महिलाऐं, लडकियां भी दिनांक 02 अक्टूबर 2009 को प्रातः 7 बजे तक संबंधित आंगनबाडी केन्द्र पर उपस्थित होंगे।
2. आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक, आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन और ग्राम पंचायतों स्थानीय व्यक्तियों एवं स्कूलों से सम्पर्क कर अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं और लडकियों को इस प्रभात फेरी में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करेंगे।
3. दिनांक 02 अक्टूबर 2009 से पूर्व आंगनबाडी केन्द्र पर स्थानीय महिलाओं एवं लडकियों के सहयोग से बैनर्स तैयार किये जाएगें जिसमें विभिन्न प्रकार के संदेश (स्लोगन) होंगे। इन संदेशों पर महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न प्रकार के शोषण, अत्याचार और हिंसा संबंधित नारे अंकित किये जाऐंगे। इस कार्य हेतु 1000/– प्रति ब्लॉक IEC मद से व्यय किया जा सकता है।
4. इनमें से कुछ नमूने के रूप में निम्न प्रकार से है :–
   (i) ''भ्रूण हत्या पाप है भ्रूण हत्या करने वालों को सजा दिलाओ''
   (ii) ''शिक्षा हर लडकी का अधिकार है हर लडकी को स्कूल भेंजो''
   (iii) ''महिलाओं को पीटना या गाली देना अत्याचार है इसे बंद करो''
   (iv) ''महिला का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है''
   (v) ''महिलाऐं समाज में बराबरी की हिस्सेदार है''
   (vi) ''महिलाओं के लिए भयमुक्त समाज होना चाहिए''
   (vii) ''महिलाओं पर अत्याचार बंद करों–बंद करो''
   (viii) '' सशक्त नारी सशक्त समाज''

   ये कुछ नमूने है। ऐसे कई प्रकार के संदेश स्थानीय भाषा में बनाये जा सकते है।
5. घरेलू हिंसा से भी संरक्षण की भी संपूर्ण जानकारी देनी चाहिए।
6. प्रभात फेरी में भाग लेने वाली महिलाऐं और लडकियां साथ–साथ नारे भी लगाती चलें।
7. स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों को भी इस प्रभात फैरी के साथ जोडा जाना चाहिए।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\CM DO LETTER.doc

8. प्रभात फैरी दिनांक 02 अक्टूबर 2009 को ही आयोजित होगी लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे वर्ष समय–समय पर आयोजित किये जाते रहेंगे। इसमें स्थानीय स्तर पर विचार गोष्ठीयां, महिला सम्मेलन आदि आयोजित किये जाऐंगे।
9. उपखण्ड स्तर पर महिला सहायता समिति के सदस्य भी प्रभात फेरी और दूसरे आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
10. स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी प्रभात फेरी और सालभर चलने वाले कार्यक्रमों से जोडा जाना चाहिए।
11. इस हेतु दिशा निर्देश शीघ्र जारी किये जाऐगें परन्तु स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों और आवश्यकता के अनुरुप कार्यक्रम की रूपरेखा बनायी जानी अपेक्षित होगी।
12. सभी कार्यक्रम निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर,, उदयपुर, जोधपुर वे इन कार्यक्रमों में अपना पूरा सहयोग देंगे। जिला महिला सहायता समिति के सदस्यों का इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग होगा।

दिनांक 02 अक्टूबर 2009 को आयोजित प्रभात फेरी की विस्तृत रिपोर्ट आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक तैयार करेंगे जिनका संकलन जिला स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक जिला अधिकारी इन रिपोर्ट के आधार पर जिले में आयोजित कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट 15.10.09 तक निदेशालय, महिला अधिकारिता को भिजवायेंगे। **इस रिपोर्ट के साथ आयोजित कार्यक्रम के 1–2 फोटोग्राफ भी संलग्न किये जाने आवश्यक है।**

समय की कमी को देखते हुए यह उचित होगा कि जिला अधिकारी अपने स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों, प्रचेताओं और आईसीडीएस पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दें। इस हेतु जिला कलेक्टर एवं स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया जाना चाहिए।

सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक – F.19(1)()म.बा.वि./2007 40671-749 जयपुर, दिनांक 29.9.09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आकवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्यमंत्री जी के विशिष्ठ शासन सचिव (डा. दीप पाण्डेय) को उनके ई–मेल दिनांक 05.09.09 के क्रम में।
2. निजी सचिव, माननीया मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. डा. श्रीरंजन, सयुक्त सचिव, महिला एवं विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. निदेशक, आईसीडीएस, जयपुर।
6. सभी जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला महिला सहायता समिति। आग्रह है कि इस कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग दिये जाने के साथ–साथ अपने स्तर से भी सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करें।
7. जिला पुलिस अधीक्षक (सभी)।
8. प्रोग्रामर, महिला एवं बाल विकास विभाग को वैब साईट पर डाले जाने हेतु (अपलोडिंग)।
9. कार्यक्रम निदेशक, महिला विकास विभाग, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राज. जयपुर।